न्यायालय जिला **कलक्टर एवं** मजिस्ट्रेट, **श्रीगंगानगर**

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 103/2023(GCMS: **2023/181**)

सरकार जरिये थानाधिकारी, **लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर**

बनाम

रमेश कुमार पुत्र मेघराम जाति कुम्हार उम्र 32 साल निवासी 7 एसजीआर, बी पुलिस थाना सदर, जिला श्रीगंगानगर

11.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी रमेश कुमार के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

स्टेट की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना लालगढ जाटान ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 22.07.2023 को अमरजीत चावला, आरपीएस, सीओ ग्रामीण, श्रीगंगानगर मय श्री चुन्नीराम एचसी 99, गनमैन श्री सुरजीत कानि. 1651 मय ड्राईवर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 1026 कार्यालय से रवाना होकर दीगर राजकार्य करता हुआ समय 5:20 पीएम पर सड़क आम लालगढ जाटान से बनवाली नजदीक शनि मन्दिर, थाना लालगढ़ जाटान पहुंचा तो सामने बनवाली की तरफ से एक पीकअप गाड़ी नं आरजे 13 जीबी 7296 आती हुई दिखाई दी जो संदिग्ध प्रतीत होने पर गाड़ी को रूकवाया गया व चैक करने पर गाड़ी के अन्दर डीजल के ड्रम भरे है। जिस पर कार्यवाही हेतु आस पडौस व राहगिरों से स्वतंत्र गवाह बनने बाबत पूछा गया तो सभी ने उचित कारण बता कर कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर साथी मुलाजमान के समक्ष गाडी चालक का नाम, पता पूछा तो अपना नाम **रमेश कुमार पुत्र मेघाराम जाति कुम्हार उम्र 32 साल निवासी 7 एसजीआर बी पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर** का होना बताया। **गाड़ी का निरीक्षण किया गया तो गाडी में पीछे डाला में कुल 14 ड्रम प्लास्टिक**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

के डीजल के ऊपर तक फुल भरे है, जिस पर प्रत्येक ड्रम को चैक किया गया तो 10 ड्रम छोटे व चार ड्रम बड़े है, छोटे ड्रमों के ऊपर काले रंग के मार्कर से प्रत्येक पर 230 लीटर अंकित है तथा चार बड़े ड्रमों के ऊपर काले रंग के मार्क से 265 लीटर अंकित है। इस प्रकार सभी ड्रमों का कुल 3360 लीटर डीजल होना पाया है। रमेश कुमार से डीजल के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन पंजाब से डीजल लेकर आया है तथा यह डीजल देवीलाल स्वामी निवासी लालेरा मो.न. 94144—79343 का होना बताया। डीजल बाबत अपने मोबाईल से खरीद बिल की फोटो दिखाई जिस पर क्रमांक 2616 दिनांक 22.07.2023 लिखा हुआ है तथा कुल 3403.55 लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम देवीलाल स्वामी लिखा हुआ है तथा ड्रम डिटेल में 14 लिखा हुआ है। इस प्रकार डीजल ड्रमों पर अंकित व पर्ची के हिसाब से 43 लीटर डीजल का अन्तर आने पर रमेश कुमार से पूछा तो बताया कि मैने 43.55 लीटर डीजल गाड़ी की टंकी में डलवाना बताया। हालांकि ड्रमों पर लिखे हुए मात्रा के हिसाब से कुल डीजल 3360 लीटर बनता है, फिर भी डीजल का माप तोल किया जाना था, जिस पर उन्होंने जाब्ता में से श्री चुन्नीराम एचसी 99 को मय सरकारी गाडी व ड्राईवर को हिदायत दी गई कि बाजार लालगढ से करीब 265 लीटर ड्रम व एक 20 लीटर का माप मय कीप, पाईप के लेकर आने हेतु रवाना किया गया। जिस पर श्री चुन्नीराम एचसी 99 मय गाडी व ड्राईवर के एक 265 लीटर का ड्रम, 20 लीटर का माप व एक कीप, पाईप लेकर मौका पर हाजिर आये। जिस पर हमारा जाब्ता की मदद से एक छोटे ड्रम में भरे हुए डीजल का माप किया तो 230 लीटर हुआ व एक बडे ड्रम में भरे हुए डीजल का माप किया तो 265 लीटर हुआ। इस प्रकार छोटे 10 ड्रमों की क्षमता 230 लीटर एक जैसी है व बड़े 04 ड्रमों की क्षमता 265 लीटर एक जैसी है। इस प्रकार कुल डीजल 3360 लीटर हुआ। शक्स रमेश कुमार से डीजल को कब्जा में रखने व परिवहन करने व लाईसेंस/परमिट पूछा तो अपने पास नहीं होना

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बताया। मुल्जिम रमेश कुमार से अवैध डीजल के सम्बन्ध गहनता से पूछताछ की गयी, डीजल के खरीद सम्बन्धी बिल की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण हाजा में बरामद डीजल में से बरामदगीकर्ता द्वारा लिये गये सैम्पल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में **परीक्षण करवाने हेतु एफएसएल, जोधपुर में जमा करवाया गया।** रमेश कुमार पुत्र मेघाराम जाति कुम्हार उग्र 32 साल निवासी चक 7 एसजीआर बी, पुलिस थाना सूरतगढ सदर द्वारा **अवैध पेट्रोलियम की खरीद कर निर्धारित मात्रा से अधिक संग्रहण एवं परिवहन आदि कर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 03(4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव), आदेश 199 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उललंघन करने के कारण जब्तशुदा अवैध 3360 लीटर डीजल मय 14 प्लास्टिक ड्रम एवं एक पीकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7296 को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया था कि उक्त प्रकरण में दिनांक 22.07.2023 को प्रार्थी विनोद कुमार का पंजीकृत वाहन को अवैध डीजल 3360 लीटर को परिवहन के आधार पर डीजल मय वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7296 को जब्त किय गया तथा उसके पश्चात श्रीमान्जी के समक्ष 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में चालान प्रस्तुत किया गया जो विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी रमेश कुमार द्वारा अपनी जरूरत के लिए 1560 लीटर खरीद किया था तथा देवीलाल पुत्र रामलाल द्वारा 1800 लीटर डीजल खरीद कर प्रार्थी के वाहन में परिवहन हेतु रखवाया था तथा एक अपने नाम से बिल प्राप्त किया था।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा केवल 1560 लीटर खरीद किया है तथा शेष डीजल देवीलाल पुत्र श्री रामलाल का था, जो 2500 लीटर मात्रा से कम होने के कारण किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है।

उनक आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी से जब्त किया गया 2500 लीटर पदार्थ डीजल ही है किन्तु पुलिस/डी.एस. विभाग ने जांच सैम्पल लेने की कार्यवाही में सभी नियमों की पालना नहीं की, इसलिए सैम्पल की कार्यवाही दूषित है, जिसके कारण सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त योग्य है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन किया कि दिनांक 22.07.2023 को प्रार्थी विनोद कुमार का पंजीकृत वाहन को अवैध डीजल 3360 लीटर को परिवहन के आधार पर डीजल मय वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7296 को जब्त किया गया था जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने विनोद कुमार एवं रमेश कुमार के नाम अपना जवाब व लिखित बहस पेश की है। **जबकि विनोद कुमार को पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही विनोद कुमार के द्वारा पक्षकार बनने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी रमेश कुमार द्वारा 1560 लीटर डीजल खरीद किया जाना बताया है तथा शेष डीजल देवीलाल पुत्र रामलाल का बताया है, जबकि देवीलाल नाम का कोई व्यक्ति पत्रावली में पक्षकार नहीं है और न ही पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी प्रकार के डीजल की मांग की गई हैं।

उनका आगे कथन था कि विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। **वर्ग "ख" का भण्डार 2500 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है** जबकि अप्रार्थी से 3360 लीटर डीजल जब्त किया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसलिए भी अप्राथी से जब्त किया गया 3360 लीटर डीजल मय वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7296 राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी के पास भण्डारण/विक्रय/परिवहन का भी कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इससे **स्पष्ट है कि उक्त अप्रार्थी के पास भी भण्डारण/विक्रय/परिवहन की** कोई अनुज्ञप्ति **हो। ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के पास उपलब्ध होता तो वे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करते।**

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश 2005 **की** स्पष्ट उल्लंघन की है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा 3360 लीटर डीजल मय वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7296 को राजसात किया **जावे।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी रमेश कुमार के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि थानाधिकारी पुलिस थाना, लालगढ जाटान ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 22.07.2023 को अमरजीत चावला, आरपीएस, सीओ ग्रामीण, श्रीगंगानगर मय श्री चुन्नीराम एचसी 99, गनमैन श्री सुरजीत कानि. 1651 मय ड्राईवर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 1026 कार्यालय से रवाना होकर दीगर राजकार्य करता हुआ समय 5:20 पीएम पर सड़क आम लालगढ जाटान से बनवाली नजदीक शनि मन्दिर, थाना लालगढ़ जाटान पहुंचा तो सामने बनवाली की तरफ से एक पीकअप गाड़ी नं आरजे 13 जीबी 7296 आती हुई दिखाई दी जो

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

संदिग्ध प्रतीत होने पर गाड़ी को रूकवाया गया व चैक करने पर गाड़ी के अन्दर डीजल के ड्रम भरे है। गाडी चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम **रमेश कुमार पुत्र मेघाराम जाति कुम्हार उम्र 32 साल निवासी 7 एसजीआर बी पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर** का होना बताया। **गाड़ी का निरीक्षण किया गया तो गाडी में पीछे डाला में कुल 14 ड्रम प्लास्टिक के डीजल के ऊपर तक फुल भरे है, जिस पर प्रत्येक ड्रम को चैक किया गया तो 10 ड्रम छोटे व चार ड्रम बड़े है, छोटे ड्रमों के ऊपर काले रंग के मार्कर से प्रत्येक पर 230 लीटर अंकित है तथा चार बड़े ड्रमों के ऊपर काले रंग के मार्क से 265 लीटर अंकित है।** इस प्रकार सभी ड्रमों का कुल 3360 लीटर डीजल होना पाया है। **रमेश कुमार से डीजल के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन पंजाब से डीजल लेकर आया है** तथा यह डीजल देवीलाल स्वामी निवासी लालेरा मो.न. 94144–79343 का होना बताया। **डीजल बाबत अपने मोबाईल से खरीद बिल की फोटो दिखाई जिस पर क्रमांक 2616 दिनांक 22.07.2023 लिखा हुआ है तथा कुल 3403.55 लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम देवीलाल स्वामी लिखा हुआ है** तथा ड्रम डिटेल में 14 लिखा हुआ है। **इस प्रकार डीजल ड्रमों पर अंकित व पर्ची के हिसाब से 43 लीटर डीजल का अन्तर आने पर रमेश कुमार से पूछा तो बताया कि मैने 43.55 लीटर डीजल गाड़ी की टंकी में डलवाना बताया। हालांकि ड्रमों पर लिखे हुए मात्रा के हिसाब से कुल डीजल 3360 लीटर बनता है,** फिर भी डीजल का माप तोल किया जाना था, जिस पर उन्होंने जाब्ता में से श्री चुन्नीराम एचसी 99 को मय सरकारी गाडी व ड्राईवर को हिदायत दी गई कि बाजार लालगढ से करीब 265 लीटर ड्रम व एक 20 लीटर का माप मय कीप, पाईप के लेकर आने हेतु रवाना किया गया। जिस पर श्री चुन्नीराम एचसी 99 मय गाडी व ड्राईवर के एक 265 लीटर का ड्रम, 20 लीटर का माप व एक कीप, पाईप लेकर मौका पर हाजिर आये। जिस पर हमारा जाब्ता की मदद से एक छोटे ड्रम में भरे हुए

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

डीजल का माप किया तो 230 लीटर हुआ व एक बडे ड्रम में भरे हुए डीजल का माप किया तो 265 लीटर हुआ। इस प्रकार छोटे 10 ड्रमों की क्षमता 230 लीटर एक जैसी है व बड़े 04 ड्रमों की क्षमता 265 लीटर एक जैसी है। इस प्रकार कुल **डीजल 3360 लीटर हुआ। शक्स रमेश कुमार से डीजल को कब्जा में रखने व परिवहन करने व** लाईसेंस/**परमिट पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया।** मुल्जिम रमेश कुमार से अवैध डीजल के सम्बन्ध गहनता से पूछताछ की गयी, डीजल के खरीद सम्बन्धी बिल की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण हाजा में बरामद डीजल में से बरामदगीकर्त्ता द्वारा लिये गये सैम्पल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में **परीक्षण करवाने हेतु एफएसएल, जोधपुर में जमा करवाया गया।** रमेश कुमार पुत्र मेघाराम जाति कुम्हार उम्र 32 साल निवासी चक 7 एसजीआर बी, पुलिस थाना सूरतगढ सदर द्वारा **अवैध पेट्रोलियम की खरीद कर निर्धारित मात्रा से अधिक संग्रहण एवं परिवहन आदि कर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 03(4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव), आदेश 199 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उललंघन करने के कारण जब्तशुदा अवैध 3360 लीटर डीजल मय 14 प्लास्टिक ड्रम एवं एक पीकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7296 को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी रमेश कुमार के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में विभाग द्वारा दौराने जांच सैम्पल लेने की कार्यवाही में सभी नियमों की पालना नहीं की, जिसकी पालना करना आवश्यक है, इसलिए सैम्पल की कार्यवाही दूषित होने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त करने योग्य है, परन्तु विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा 3360 लीटर डीजल जब्त किया गया है और जिसे अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी 3360 डीजल की बात को सही माना है।

थानाधिकारी, **पुलिस थाना, लालगढ जाटान** ने अप्रार्थी रमेश कुमार से वाहन आरजे 13 जीबी 7296 में 3360 लीटर डीजल जब्त किया गया है और अप्रार्थी ने सैम्पल की कार्यवाही को दूषित बताते हुए जब्तशुदा प्रार्थी विनोद कुमार के वाहन आरजे 13 जीबी 7296 एवं रमेश कुमार के डीजल 1560 लीटर को लौटाने की प्रार्थना की है और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब/बहस के साथ रमेश कुमार द्वारा क्रय किये गये डीजल का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है और देवीलाल (जो पत्रावली में पक्षकार नहीं) द्वारा दिनांक 22.07.2023 को परिवहन किये गये 1800 लीटर का बिल संख्या 6377 की प्रति पेश की है, जिसका हस्तगत प्रकरण में पेश नहीं किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी रमेश कुमार द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी रमेश कुमार द्वारा **अवैध** पेट्रोलियम **पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) .....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 3360 लीटर डीजल जब्त किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 3360 लीटर डीजल दो व्यक्तियों का बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसके वाहन में निर्धारित सीमा 2500 लीटर डीजल से अधिक डीजल 3360 लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। **चूंकि अप्रार्थी रमेश कुमार के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 **के तहत जारी 1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।**

अप्रार्थी ने उक्त डीजल एवं पेट्रोल **क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का** कोई **वैद्य** अनुज्ञा **पत्र भी पेश नही** किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> विलायकों के **वर्गीकरण** के **सम्बन्ध** में — **स्पष्टीकरण**
>
> **(12) पत्रांक : पी—3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग**
>
> (1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex
बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

.....

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 3360 लीटर डीजल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थीण से जब्तशुदा उक्त वाहन संख्या आररजे 13 जीबी 7296 मय 3360 लीटर डीजल के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 3360 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7296 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना लालगढ जाटान के पत्रांक 1670 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार जब्तशुदा के वाहन संख्या **RJ-13-GB-7296** का अनुमानित बाजार भाव 5.50/— लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 4.50/— लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो थानाधिकारी, पुलिस थाना लालगढ़ जाटान उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 3360 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 3360 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए थानाधिकारी, पुलिस थाना लालगढ़ जाटान को आदेश दिये जाते है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।

चूंकि उक्त प्रकरण में 3360 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या RJ-13-GB-7296 राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-13-GB-7296 का बाजार मूल्य 5.50/– लाख रूपये है। इसलिए उक्त वाहन संख्या RJ-13-GB-7296 पर 4.50/– लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, लालगढ़ जाटान को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया/जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर